

Land Details

>	Sub-Total Area					10.0912	24.94	1,00,912		
---	----------------	--	--	--	--	---------	-------	----------	--	--

Sr. No.	Document Type	Khata No.	Khasra No.	Seller	Buyer/Owner	Purchased Area/Owned Area (Hectares)	Purchased Area/Owned Area (Acres)	Purchased Area/Owned Area (sqm.)	Registry No.	Registry Date/Fasli Year
1	Khatauni	147	85	NA	Keshav Das	0.3360	0.83	3,360	NA	1427-1432
2	Sale Deed	711	86M	Ramswaroop	SDPL	0.0040	0.01	40	853	20-01-2024
3	Khatauni	147	86M	NA	Keshav Das	0.0490	0.12	490	NA	1427-1432
4	Sale Deed	711	87	Ramswaroop	SDPL	0.0240	0.06	240	853	20-01-2024
5	Khatauni	352	88	NA	Keshav Das, Vivek Kumar, Sukhdevi	0.2330	0.58	2,330	NA	1427-1432
6	Khatauni	975	89/1	NA	Yadu Developers Pvt. Ltd.	0.4050	1.00	4,050	NA	1427-1432
7	Khatauni	692	89/2	NA	ABL Developers	0.2230	0.55	2,230	NA	1427-1432
8	Khatauni	556	89/3	NA	ABL Developers	0.2540	0.63	2,540	NA	1427-1432
9	Sale Deed	719	89/4	Rahul	SDPL	0.1620	0.40	1,620	5686	22-06-2023
10	Sale Deed	718	90	Rajabeti	Dinesh Kumar Verma	0.2414	0.60	2,414	2331	22-02-2024
11	Exchange Deed	718	90	Rahul	ABL Developers	0.4826	1.19	4,826	5781	22-06-2023
12	Khatauni	661	92	NA	Manvendra Singh Yadav	0.1800	0.44	1,800	NA	1427-1432
13	Exchange Deed	661	92	Yash Agrwal & Nimisha Agrwal	Manvendra Singh Yadav & Vivek Yadav	0.1665	0.41	1,665	1201	25-01-2025
14	Khatauni	643	93	NA	Vivek Yadav & Manvendra Singh Yadav	0.4530	1.12	4,530	NA	1427-1432
15	Khatauni	144	95	NA	Keshav Das, Vivek Kumar, Sukhdevi, Abhishek Yadav	1.9140	4.73	19,140	NA	1427-1432
16	Khatauni	866	96	NA	Keshav Das	0.0100	0.02	100	NA	1427-1432
17	Sale Deed	253	98	Dwarika Prasad	SDPL	0.3239	0.80	3,239	15161	02-12-2024
18	Khatauni	253	98	NA	Yadu Developers Pvt. Ltd.	0.2632	0.65	2,632	NA	1427-1432
19	Khatauni	253	98	NA	Dwarika Prasad	0.4099	1.01	4,099	NA	1427-1432
20	Sale Deed	253	98	Jagdish	Yadu Developers Pvt. Ltd.	0.9970	2.46	9,970	1119	02-02-2023
21	Khatauni	478	99	NA	Maniram	2.0780	5.13	20,780	NA	1427-1432
22	Khatauni	819	120	NA	Gyanwati, Vikram	0.8817	2.18	8,817	NA	1427-1432

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

E-mail: cempihs@gmail.com

कार्यालय दूरभाष नं०-0510.2445366

GSTIN No. 09AACCD-0695-D1ZS



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड (द्वितीय)
मुन्नालाल पावर हाउस, ग्वालियर रोड,
झाँसी (उ०प्र०) - 284001

पत्रांक

वि०न०वि०ख०(II)/झाँसी/

दिनांक2022

विषय - तलपट मानचित्र/शमन मानचित्र वाद सं०-37/उपाध्यक्ष/जेडीए/2022-23 पर अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सचिव

झाँसी विकास प्राधिकरण,

झाँसी

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 600/जे०डी०ए०/अना० प्रमाण पत्र/(2022-23) दिनांक 15.09.2022 के सन्दर्भ में प्रेषित भौतिक सत्यापन के आधार पर तलपट मानचित्र/शमन मानचित्र वाद सं०-117/उपाध्यक्ष/जेडीए/2022-23 के स्थल निरीक्षण पश्चात "सनफ्रान स्टेट" मै० सनफ्रान डेवलपर्स प्रा०लि० (कन्सोर्शियम) प्रतिनिधि श्री राजन मिश्रा मौजा- कोछाभांवर, आराजी सं०- 85, 86, 86मि., 87, 88, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99 एवं 120 झाँसी का विभाग पर कोई देय बकाया नहीं है एवं न ही कोई विद्युत लाईन निकली हुई है। यह प्रमाण पत्र मात्र अदेयता हेतु निर्गत किया जा रहा है। विद्युत आपूर्ति निर्गत होने के सम्बन्ध में यह प्रतिबन्धित रहेगा।

उपरोक्त तलपट मानचित्र/शमन मानचित्र के संबंध में अदेयता/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विद्युतीकरण के सापेक्ष भू-खण्डों को बन्धक बनाने की कृपा करें ताकि विकासकर्ता ससमय विद्युतीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें और विभाग गुणवत्ता के साथ विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर सके।

(अनुभव कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

दिनांक 09/11/2022

पत्रांक

9965

वि०न०वि०ख०(II)/झाँसी/

प्रतिलिपि- "सनफ्रान स्टेट" मै० सनफ्रान डेवलपर्स प्रा०लि० (कन्सोर्शियम) प्रतिनिधि श्री राजन मिश्रा मौजा- कोछाभांवर, आराजी सं०- 85, 86, 86मि., 87, 88, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99 एवं 120 झाँसी को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

(अनुभव कुमार)

अधिशासी अभियन्ता



GROUND WATER DEPARTMENT

(Namami Gange & Rural Water Supply Department)

Ministry of Jal Shakti

Government of Uttar Pradesh

Form 8 (C)

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE FOR SINKING OF NEW / EXISTING WELL FOR INDUSTRIAL/ COMMERCIAL/ INFRASTRUCTURAL OR BULK USER OF GROUND WATER

[Under Section 14 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019.]

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE NO:

VALID FROM --- TO ---

Name of the Applicant	SHAIENDRA KUMAR SINGH		
Address of the Applicant:	A 10, Sanfran Ashok City, Village- Merry, Jhansi		
Company Name:	SANFRAN DEVELOPER PVT. LTD.	Company Address	PARAMEDICAL ROAD, KOCHHA BHANWAR, JHANSI
Serial No. of Application Form	JHNS0624NIF0005	Date of Submission	26/06/2024
Specimen Signature of the User:			
Location particulars:			
District	Jhansi	Block	Municipal Corporation/Nagar Nigam, Jhansi
Plot No.	KHASRA NO. 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97		
Municipality/Corporation	N/A	Ward No.	N/A
Holding No.	N/A		
Rate of Withdrawal (m ³ /hr.)	50.00	Date of Energization (In Case of Electric Pump)	15/10/2024
Particular of the Proposed Well and Pumping Device			
Type of the Well	Tube Well/Boring	Purpose of the Well	Infrastructural
Assembly Size (For Tube Well)	120.00	Approx. Strainer Length (For Tube Well)	0.00
Diameter (For Dug Well)	0.00	Type of Pump to be Used:	Submersible
H.P. of the Pump:	20.00	Operational Device	Electric Motor
Maximum Allowable Rate of Withdrawal (m ³ /hr.):	50.00	Maximum Allowable Running Hours Per Day:	2.77
Maximum Allowable Annual Extraction of Ground Water:	50552.50	Recharge Required:	25276.25

This No-Objection certificate authorizes the owner applicant (user) to sink a well in the location specified at Sl. (2) for extraction of ground water at a rate not exceeding that as shown at Sl. (3j), for Running Hours per day as shown at Sl. (3k), and for maximum allowable annual extraction of ground water as shown at Sl. (3k) and is valid subject to the observance of the conditions stated overleaf.

Place:

Date:

Yours Faithfully,
Signature of the Issuing Authority
and Designation

GENERAL CONDITIONS:

- In case of any change of ownership of the proposed well, fresh authorization has to be obtained.
- No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the proposed well as indicated at SL (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this authorization
- For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall affix digital water flow meters (conforming to BIS/ IS standards) having telemetry system in the abstraction structure, which record rate and quantum of extraction, at outlet of pumping devices and it shall be presumed that the quantity recorded by the meter has been extracted by the said user, until the contrary is proved. The rate of extraction of ground water from the well as shown in item 3(k) shall not exceed to the recorded rate from water meters
- The concerned Authority reserves the right to stop extraction of ground water from the well due to quality hazards or any other reasons, if the situation so demands
- In case of any change of ownership of the existing well, fresh registration has to be obtained.
- No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the existing well as indicated at Sl. (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this registration
- In case, any of the particulars / information furnished by the applicant in his application for issuance of this registration is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this registration is liable for cancellation.
- The Certificate of Authorization/ NOC shall be valid for a period of five years from the date of issue. The applicant shall have to apply for renewal through a fresh application, at least ninety days prior to expiry of its validity.
- Construction of piezometers and installation of digital water level recorders with telemetry shall be mandatory for user. Depth and zone tapped of piezometer should be commensurate with that of the pumping well. The data, obtained from digital water level recorders shall be made available to this office on monthly basis
- **Guidelines for Installation of Piezometers and their Monitoring**

Piezometer is a borewell /tubewell used only for measuring the water level by lowering the tape/ sounder or automatic water level measuring equipment. It is also used to take water sample for water quality testing when ever needed. General guidelines for installation of piezometers are as follows:

- The piezometer is to be installed/constructed at the minimum of 50 m distance from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about 4" to 6".
- The depth of the piezometer should be same as is case of the pumping well from which ground water is being abstracted. If, more than one piezometers are installed the second piezometer should monitor the shallow ground water regime. It will facilitate shallow as well as deeper ground water aquifer monitoring.
- No. of piezometers to be constructed & Type of water level monitoring mechanism shall be as per below table:

S.No	Quantum of Ground water withdrawal (cum/day)	No.of piezometers required	Monitoring Mechanism	
			Manual	DWLR with Telemetry
1	< 10	0	0	0
2	11 - 50	1	1	0
3	50- 500	1	0	1
4	> 500	2	0	2

- The measuring frequency should be monthly and accuracy of measurement should be up to cm. the reported measurement should be given in meter upto two decimal.
- For measurement of water level sounder or automatic water level recorder (AWLR)/ Digital Automatic water level recorder (DWLR) with telemetry system should be used for accuracy.

- The measurement of water level in piezometer should be taken, only after the pumping from the surrounding tube wells has been stopped for about four to six hours.
- All the details regarding coordinates, reduced level (with respect to mean level), depth, zone tapped and assembly lowered should be provided for bringing the piezometer into the Hydrograph Monitoring System for Ground Water Department, Uttar Pradesh, and for its validation.
- The ground water quality has to be monitored twice in a year during pre-monsoon (May/June) and post-monsoon (October/November) periods. Quality may be got analyzed from NABL approved lab. Besides, one sample (1 lt capacity bottle) to the concerned Director, Ground Water Department, Uttar Pradesh, for chemical analysis.
- A Permanent display board should be installed at piezometer/Tube wells site for providing the location, piezometer/ tube well number, depth and zone tapped of piezometer/tube well for standard referencing and identification.
- Any other site specific requirement regarding safety and access for measurement may be taken care of.
- Any other condition(s) that may be imposed by the concerned Authority.
- In case, any of the particulars I information furnished by the applicant in his application for issuance of this permit is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this permit is liable for cancellation.

SPECIFIC CONDITIONS:

- **(A) For Industrial User:** No Objection Certificate for ground water extraction by industries shall be granted subject to the following specific conditions:
 - i) No Objection Certificate shall be granted only in such cases where local government water supply agencies are not able to supply the desired quantity of water.
 - ii) All industries shall be required to adopt latest water efficient technologies so as to reduce dependence on ground water resources.
 - iii) All industries abstracting ground water in excess of 100 m³/d shall be required to undertake annual water audit through Confederation of Indian Industries (CII)/ Federation Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)/ National Productivity Council (NPC) certified auditors and submit audit reports within three months of completion of the same to Ground Water Department Uttar Pradesh. All such industries shall be required to reduce their ground water use by at least 20% over the next five years through appropriate means.
 - iv) Construction of observation well(s) (piezometer)(s) within the premises and installation of appropriate water level monitoring mechanism as mentioned in General Condition no.10 shall be mandatory for industries drawing/ proposing to draw more than 10 m³ /day of ground water and. Monitoring of water level shall be done by the project proponent. The piezometer (observation well) shall be constructed at a minimum distance of 50 m from the bore well/production well. Depth and aquifer zone tapped in the piezometer shall be the same as that of the pumping well/ wells. Monthly water level data shall be submitted online to the Ground Water Department, UP.
 - v) The proponent shall be required to adopt roof top rain water harvesting/ recharge in the project premises. Industries which are likely to pollute ground water (chemical, pharmaceutical, dyes, pigments, paints, textiles, tannery, pesticides/ insecticides, fertilizers, slaughter house, explosives etc.) shall store the harvested rain water in surface storage tanks for use in the industry.
 - vi) Injection of treated/ untreated waste water into aquifer system is strictly prohibited.
 - vii) Industries which are likely to cause ground water pollution e.g. Tanning, Slaughter Houses, Dye, Chemical/ Petrochemical, Coal washeries, other hazardous units etc. (as per CPCB list) need to undertake necessary well head protection measures to ensure prevention of ground water pollution.
- **(B) Infrastructural User:** The No Objection Certificate for ground water abstraction will be granted subject to the following specific conditions:
 - i) In case of infrastructure projects that require dewatering, proponent shall be required to carry out regular monitoring of dewatering discharge rate (using a digital water flow meter) and submit the data online to Ground Water Department, UP as applicable. Monitoring records and results should be retained by the proponent for two years, for inspection or reporting as required by District Ground Water Management Council.
 - ii) Installation of Sewage Treatment Plants (STP) shall be mandatory for new projects, where ground water requirement is more than 20 m³ /day. The water from STP shall be utilized for toilet flushing, car washing, gardening etc

This NOC is not authorized by any Official. This should only be used for Preview purpose.
यह अनापत्ति प्रमाणपत्र किसी प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। इसे मात्र पूर्वावलोकन के उद्देश्य से प्रयोग किया जाना चाहिए।



**कार्यालय:- अधिशासी अभियन्ता,
झाँसी डिवीजन जल संस्थान झाँसी।**

सेवा में,

प्रोजेक्ट "सनफ्रान स्टेट"

मै0 सनफ्रान डेवलपर प्रा.लि0 (कन्सोर्शियम)

प्रतिनिधि श्री राजन मिश्रा (निवासी- ए-1 ग्रीन होमसिटी कालोनी मुस्तारा स्टेशन के पास झाँसी)

योजना मौजा कोछाभांवर तहसील व जिला झाँसी।

पत्रांक 896 / अनापत्ति प्रमाणपत्र/09

दिनांक: 02/07/2022

विषय:- प्रस्तुत शमन तलपट मानचित्र/वाद संख्या-37/उपाध्यक्ष/जे.डी.ए./2022-23 पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक से सम्बन्धित अपने पत्र सं0 शून्य दिनांक 28.06.2022 के साथ सचिव झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी के समन तलपट मानचित्र/वाद संख्या 37/उपाध्यक्ष/जे.डी.ए./2022-23 एवं खसरा संलग्न है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।


आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्र जो स्थल मौजा कोछाभांवर तहसील एवं जनपद झाँसी के आराजी संख्या 85, 86, 86 मि0, 87, 88, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99 एवं 120 स्वीकृत हेतु वाद संख्या 37/उपाध्यक्ष/जे.डी.ए./2022-23 पर प्रस्तुत भूखण्डीय मानचित्र हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिये दिये गये प्रस्ताव के क्रम में जो झाँसी नगर निगम के अन्तर्गत है एवं प्रस्तावित स्थल के आस-पास (02-03 कि0मी0) में जल संस्थान की पाइप लाइन नहीं है। झाँसी जल संस्थान द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। जिनके अभाव में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त समझा जायेगा।

1. प्रस्तावित स्थल के आसपास जल संस्थान झाँसी की वर्तमान में जलापूर्ति की व्यवस्था एवं सीवर व्यवस्था नहीं है। भविष्य में उक्त क्षेत्र में जलापूर्ति एवं सीवर के लिए पाइप लाइन आदि बिछाने व पानी की आवश्यक व्यवस्था के हेतु आवश्यक विकास शुल्क/अनुपातिक व्यय जल संस्थान झाँसी में जमा कराया जायेगा जो उक्त भू-स्वामी/फर्म द्वारा देय होगा।
2. प्रस्तावित भूमि पर केवल भूखण्डीय आवासीय योजना के लिए ही प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। इस कार्य के अतिरिक्त यदि भूमि अन्य प्रयोजन में लायी जाती है, तो पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
3. प्रस्तावित स्थल में विकास हेतु आवश्यक जलापूर्ति एवं सीवरेज निस्तारण हेतु जल संस्थान द्वारा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी एवं यह व्यवस्था मानचित्र प्रस्तोत को स्वयं अपने व्यय स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुरूप करानी पड़ेगी। जिसका संचालन एवं रख-रखाव का दायित्व भी उसी का होगा।
4. सम्बन्धित क्षेत्र में यदि भविष्य में सीवर लाइन डाली जाती है तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति एवं सीवर संयोजन हेतु निर्धारित दायों का जल संस्थान को भुगतान कराने पर ही दिया जा सकेगा।

क्रमशः:- 2

9. सीवर व्यवस्था के लिए उचित सीवर शोधन एवं उसके निस्तारण हेतु पर्यावरण को दृष्टिकोण में रखते हुए वैज्ञानिक रूप से निस्तारण करना होगा।
10. सम्बन्धित क्षेत्र हेतु जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था हेतु किये जाने वाले कार्यों पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित विकास शुल्क आदि व्यय का भुगतान कराना होगा।
11. भविष्य में जलापूर्ति व्यवस्था उपलब्ध होने पर भू-स्वामी/भूमि का उपयोग करने वाले व्यक्ति/फर्म को जल संयोजन के लिये जल संस्थान के समक्ष प्रथक से आवेदन करने के उपरान्त ही जल संयोजन की सुविधा उपलब्ध कराने एवं भविष्य में नियमित रूप से भुगतान करने की वचनबद्धता तथा समय-समय पर निर्गत शासनदेशों के अनुपालन कराने पर ही अनुमन्य होगा, जिसके लिये शपथ-पत्र दिया जाना होगा।
12. प्रस्तुत आवासीय ले-आउट में आन्तरिक जलापूर्ति व्यवस्था के लिये मानचित्र प्रस्तुतकर्ता को जल श्रोत एवं जल वितरण प्रणाली मानकों के अनुरूप तैयार करनी होगी। जिसके अन्तर्गत मानचित्र प्रस्तुतकर्ता द्वारा नियमों एवं मानक के अनुसार कार्य कराना होगा।

भवदीय,


अधिशाली अभियन्ता
जल संस्थान, झाँसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी को उनके पत्र दिनांक 10.06.2022 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पत्रावली हेतु।

अधिशाली अभियन्ता
जल संस्थान, झाँसी

कार्यालय झाँसी नगर निगम, झाँसी

सेवा में,

सचिव/उपाध्यक्ष
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी
63/न०नि०वि०/न०नि०/2024-25
अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

दिनांक:-07/06/2024

कृपया सनफ्रान डेवलपर प्रा०लि० कन्सोर्शियम पता- कानपुर-ग्वालियर हाईवे मुस्तारा रेलवे स्टेशन के पास झाँसी द्वारा अधिकृत श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री अनन्त सिंह पता- ए-10 अशोक सनफ्रान सिटी झाँसी (उ०प्र०) के प्रार्थना पत्र दिनांक 20.04.2024 में मौजा/मुहल्ला कोछामांवर झाँसी के आराजी संख्या/भवन सं० 85 रकवा 0.336 हे०, 86 रकवा 0.049 हे०, 86 रकवा 0.004 हे०, 87 रकवा 0.024 हे०, 88 रकवा 0.233 हे०, 89/1 रकवा 0.405 हे०, 89/2 रकवा 0.223 हे०, 89/3 रकवा 0.254 हे०, 89/4 रकवा 0.162 हे०, 90 रकवा 0.724 हे०, 92 रकवा 0.346 हे०, 93 रकवा 0.453 हे०, 95 रकवा 1.914 हे०, 96 रकवा 0.010 हे०, 98 रकवा 1.994 हे०, 99 रकवा 2.078 हे० तथा 120 रकवा 0.882 हे० कुल 17 किता कुल रकवा 10.091 हे० के जुज भाग में स्थित तलपट जिसका कुल क्षेत्रफल 10.85,813 वर्गफुट की नगर निगम झाँसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

तहसीलदार की जाच आख्या दिनांक 25.04.2022 व 30.05.2024 के अनुसार उक्त तलपट मौजा/मुहल्ला कोछामांवर झाँसी की आराजी संख्या/भवन सं० 85 रकवा 0.336 हे०, 86 रकवा 0.049 हे०, 86 रकवा 0.004 हे०, 87 रकवा 0.024 हे०, 88 रकवा 0.233 हे०, 89/1 रकवा 0.405 हे०, 89/2 रकवा 0.202 हे०, 89/3 रकवा 0.595 हे०, 89 रकवा 0.724 हे०, 91 रकवा 0.222 हे०, 92 रकवा 0.360 हे०, 93 रकवा 0.453 हे०, 95 रकवा 1.914 हे०, 96 रकवा 0.020 हे०, 97 रकवा 0.947 हे०, 98 रकवा 2.991 हे०, 99 रकवा 2.078 हे० तथा 120 रकवा 1.214 हे० कुल 18 किता कुल रकवा 12.771 हे० एवं 89/4 रकवा 0.162 हे० इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 12.933 हे० के जुज भाग में स्थित है आवेदक द्वारा तहसील से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र 12.933 हे० के स्थान पर 10.090 हे० की एनओसी चाही गई है जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र दिया गया है। प्रार्थी ने जरिये खाता खतौनी संख्या 00147, 00711, 00352, 00975, 00692, 00556, 00718, 00655, 00661, 00643, 00866, 00145, 00253, 00478, 00319, 00847 राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के नाम दर्ज कागजाद है। प्रश्नगत प्लॉट ग्राम सभा, नजूल, वकफ सीलिंग, पुनर्वास व धारा- 77 में वर्णित आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है।

सम्बद्ध लेखपाल/राजस्व निरीक्षक आ०सो० की आख्या दिनांक 07.06.2024 के अनुसार प्रश्नगत भूमि मौजा/मुहल्ला कोछामांवर झाँसी के आराजी संख्या/भवन सं० 85 रकवा 0.336 हे०, 86 रकवा 0.049 हे०, 86 रकवा 0.004 हे०, 87 रकवा 0.024 हे०, 88 रकवा 0.233 हे०, 89/1 रकवा 0.405 हे०, 89/2 रकवा 0.223 हे०, 89/3 रकवा 0.254 हे०, 89/4 रकवा 0.162 हे०, 90 रकवा 0.724 हे०, 92 रकवा 0.346 हे०, 93 रकवा 0.453 हे०, 95 रकवा 1.914 हे०, 96 रकवा 0.010 हे०, 98 रकवा 1.994 हे०, 99 रकवा 2.078 हे० तथा 120 रकवा 0.882 हे० कुल 17 किता कुल रकवा 10.091 हे० के जुज भाग में स्थित तलपट/प्लॉट/भवन के सम्बन्ध में नगर निगम झाँसी से चाहा गया, अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा सभी वांछित अभिलेख (तहसीलदार) की एनओसी सहित प्रस्तुत किये गये हैं, जिसकी राजस्व निरीक्षक/सम्बद्ध लेखपाल द्वारा मौके पर जाच की गयी, जिसमें नजूल भूमि, नगर निगम सम्पत्ति/राज्य सरकार की भूमि नहीं पायी जाती है। लिपिक द्वारा मलवा शुल्क ₹ 16,57,505/- का निर्धारण किया गया है, साथ ही एनओसी शुल्क ₹ 10,86,217/- नगर निगम झाँसी कोष में रसीद सं० 2497/90 दिनांक 06.05.2024 के द्वारा जमा किया जा चुका है। संलग्न एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अनुसार मौजा/मुहल्ला कोछामांवर झाँसी के 85 रकवा 0.336 हे०, 86 रकवा 0.049 हे०, 86 रकवा 0.004 हे०, 87 रकवा 0.024 हे०, 88 रकवा 0.233 हे०, 89/1 रकवा 0.405 हे०, 89/2 रकवा 0.223 हे०, 89/3 रकवा 0.254 हे०, 89/4 रकवा 0.162 हे०, 90 रकवा 0.724 हे०, 92 रकवा 0.346 हे०, 93 रकवा 0.453 हे०, 95 रकवा 1.914 हे०, 96 रकवा 0.010 हे०, 98 रकवा 1.994 हे०, 99 रकवा 2.078 हे० तथा 120 रकवा 0.882 हे० कुल 17 किता कुल रकवा 10.091 हे० के जुज भाग में नगर निगम का अंश नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा- 80 की कार्यवाही नहीं की गयी है। नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 06.06.2024 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/2/2011/दिनांक 18 मई 2011 के अनुपालन में किसी भी रक्षा/सैन्य क्षेत्र की सीमा के 100 मीटर निकटवर्ती क्षेत्र में किसी भी भूमि के संबंध में निर्माण संबंधी आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यदि तथ्यों को छुपाकर/कपट पूर्वक ऐसी आख्या प्राप्त कर ली जाती है, तो संज्ञान में आने पर स्वतः निरस्त मानी जाएगी। भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारी तहसीलदार से भी इसकी अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्नगत प्लॉट की चौहद्दी निम्नवत्- पूरव- नाला, पश्चिम- रोड पेरा मेडीकल से मुस्तारा रेलवे स्टेशन, उत्तर- जमीन दीगर, दक्षिण- जमीन का जुज भाग आवेदक व दीगर।
नोट:- प्रश्नगत तलपट में गाटा संख्या 94 रकवा 0.097 हे० राजस्व अभिलेखों में चकमार्ग के रूप में दर्ज है जो राज्य सरकार की सम्पत्ति है तथा नगर निगम झाँसी के प्रबन्धन में है। आवेदक द्वारा मौजा कोछामांवर के टांकोरी रोड पर स्थित योजना के मध्य पडने वाले चकमार्ग को खाली छोड़ने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

नोट:-
1. उक्त मानचित्र का प्रयोजन- गेट बन्द कॉलोनी (ले-आउट प्लान) से सम्बन्धित है।
2. सैफिटक टैंक- IS CODE: 2470 के प्रावधान के अन्तर्गत नक्शों में प्रावधान कर दिया गया है।
3. कम्प्लोस्टिंग- सॉलिड बेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स - 2016 एवं तत्सम्बन्धी प्रख्यापित नियमावली- 2017 में दिये गये प्राविधान के अनुसार प्रश्नगत नक्शा का निर्धारित क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से अधिक है अतएव "गीला कचड़ा आवेदक स्वयं प्रोसिस करेगा। सूखा कचड़ा नगर निगम द्वारा लिया जायेगा जिसका यूजर चार्ज आवेदक को देना होगा।"
4. मौजा कोछामांवर स्थित गाटा संख्या 94 में स्थित चकरोड को यथा स्थिति रिक्त/खुला रखना होगा।

नोट:- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र, उसी आवासीय कालोनी/क्षेत्र के लिये मान्य है, जिसका ले-आउट झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनी/क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया है/यदि प्रश्नगत प्रकरण में किसी भी प्रकार का विवाद आने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निष्प्रभावी/अमान्य/निरस्त माना जायेगा।

पत्रांक:- 63/न०नि०वि०/न०नि०/2024-25

सनफ्रान डेवलपर प्रा०लि० कन्सोर्शियम पता- कानपुर-ग्वालियर हाईवे मुस्तारा रेलवे स्टेशन के पास झाँसी द्वारा अधिकृत श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री अनन्त सिंह पता- ए-10 अशोक सनफ्रान सिटी झाँसी (उ०प्र०) को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी

दिनांक:-07/06/2024

अपर नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी

जाच आख्या (राजस्व विभाग) का प्रारूप

1. आवेदक का नाम व पिता/पति का नाम सुप्रकाश देवसपर सा.लि.०२-७३ हतीशाल
सेक्टर २, नौरडा द्वारा अधिकृत श्यामल कुमार पॉल पुत्र राम के. पॉल
2. आवेदक का पता नि. 15 सी, तिमक नगर पी. एच. ई. एल. मिमरावारी झांसी
3. मकान नं./प्लॉट का आराजी संख्या मौजा - औद्याबांण तहसील जिला झांसी के आ.स.नं.
१९/५ रकबा ०.१६९ है. श्रीमस्वामीपग की गयी
4. सैन्य एरिया की सीमा से भू-खण्ड/प्लॉट/मकान की दूरी सैन्य एरिया की सीमा से 100 मी.
निकटता के बाहर
5. लेखपाल द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया या नहीं प्रश्नगत भूमि का मौके पर जाकर
निरीक्षण किया आवेदक ने मौजा - औद्याबांण तहसील जिला झांसी में स्थित है। अधिक
ने प्रारंभ पंजीकृत डीनसा दिनांक 22/06/2023 को विक्रेता राहुल से क्रय की गयी। क्रय
की गयी सम्पत्त मजूल वकफ सीलिंग एवं पुनर्बीस द्वारा 7-7 में पंजीकृत आरक्षित श्रेणी
की भूमि नहीं है।
6. मौके के अनुसार प्रश्नगत आराजी की स्थलीय जांच आख्या में भू-खण्ड/प्लॉट/मकान की चौहदी
पूरब - आराजी नं. १९/३, पश्चिम - आ.नं. १५, उत्तर - आराजी नं. ११
दक्षिण - आ.नं. १५
7. प्रश्नगत भूमि का नजरी नक्शा संलग्न है अथवा नहीं संलग्न है।
8. उक्त भू-खण्ड/प्लॉट/मकान सरकारी/अर्द्ध सरकारी है या नहीं नहीं है।

नोट : (1) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/2/2011/दिनांक 18 मई 2011 के अनुपालन में किसी भी रक्षा/सैन्य क्षेत्र की सीमा के 100 मीटर निकटवर्ती क्षेत्र में किसी भी भूमि के संबंध में निर्माण संबंधी आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यदि तथ्यों को छुपाकर/कपट पूर्वक ऐसी आख्या प्राप्त कर ली जाती है, तो संज्ञान में आने पर स्वतः निरस्त मानी जाएगी। तदनुसार जांच आख्या जारी की जाती है।

29/05/24
लेखपाल क्षेत्र

29/05/24
राजेश सिंह सोमवंशी
निरीक्षक

30/05/24

महोदय

प्रवीं राजन मित्रा द्वारा सनफ्रान डेवलपर प्राइ. लिमि.
पता सनफ्रान अशोक सिटी कार्मोनी कानपुर ग्वाल्दियर बाईपास
रोड कोसी के अनापति प्रमाणपत्र विषयक प्रार्थनापत्र पर प्रका-
रित महोदय के आदेश के अनुपाकन में आस्था निम्नवत है।

संलग्न तालपट मानचित्र के अनुसार

श्रीवेद्य सनफ्रान डेवलपर प्रा. लि. द्वारा मौजा कोडाभांकर तह.
कोसी के आरजी नम्बरान 85/0.336, 86 मि./0.049, 86 मि./0.004,
87/0.024, 88/0.233, 89/1/0.405, 89/2/0.202, 89/3/0.595,
90/0.724, 91/0.222, 92/0.360, 93/0.453, 95/1.914, 96/0.020,
97/0.947, 98/2.991, 99/2.078, 120/1.214 के जुन भाग में आवा-
सीय योजना " सनफ्रान इस्टेट " विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्व अफिलेवों में उक्त आरजी नम्बरान खातेदारों के नाम
जैसी 11 (क) में दर्ज कागजात है। नकल खतौनी संलग्न है। श्रीवेद्य
सनफ्रान डेवलपर द्वारा राजस्व अफिलेवों में दर्ज खातेदारों से पंजी-
कृत बैला, कन्सोशियम एग्रीमेंट, एम. ओ. यू. एग्रीमेंट, कोकेशेडान
एग्रीमेंट एवं परस्पर सहमति के आधार पर उक्त आवासीय योजना
विकसित की जा रही है।

संलग्न तालपट मानचित्र का मौके पर

स्थलीय निरीक्षण कर राजस्व अफिलेव एवं राजरा मानचित्र
से मिलान किया गया। जिसमें ग्रामसभा, नजक, वक्क, सीकिंग,
पुर्ववास की भूमि सम्मिलित नहीं है।

आस्था सेवा में प्रेषित है।

(उपस्थित)
[Signature]
[Text]

M.P.
21/04/2022

महोदय,

म. न. व. से. आस्था अनुसार।

[Signature]
25/04/22
[Text]